जागरूकता अभियान की शुरुआत करते डीजे जागरण

लोक अदालत को अभियान का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, शेखपुरा : जिला में आठ अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बुधवार को जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत बुधवार को शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला तथा सत्र न्यायधीश आलोक कुमार पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया। यह जागरूकता वाहन जिला के सभी पंचायतों में जाकर लोगों को लोक अदालत खूबियों के बारे में जागरूक करेगा तथा आठ अगस्त को आयोजित होने वाले बैंक लोक अदालत में शामिल होने का आग्रह करेगा।

इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी एसके सिंहा, बिहार ग्रामीण बैंक के जिला समंवयक आरके चौधरी, एसबीआई के वरीय अधिकारी प्रबीर कुमार मुखर्जी के अलावे विधिक संघ शेखपुरा के संयुक्त सचिव चंद्रमौली यादव, कोषाध्यक्ष शकील अहमद तथा कई अन्य बैंक के अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर जिला जज आलोक कुमार पांडेय ने लोगों में लोक अदालत के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि लोक अदालत ऐसी अदालत है जिसमें किसी की हार नहीं होती है इसमें दोनों पक्ष जीतते हैं तथा सबकी जय-जय होती है। इस अवसर पर जिला जज ने बैंकों के पदाधिकारियों से कहा कि आठ अगस्त को आयोजित होने वाले बैंक लोक अदालत को सफल बनाने में वे भी अपनी सकारात्मक जिम्मेवारी निभाएं, ताकि शेखपुरा जिला मामलों के निबटारे में अव्वल बन सके। बुधवार को इस जागरूकता मिशन के तहत विभिन्न बैंकों के आधादर्जन जागरूकता वाहन रवाना किये गए।

बैंकों का 55 करोड़ है बकाया

शेखपुरा : जिला में विभिन्न बैंकों का लगभग 55 करोड़ रुपया ऐसे कर्ज में लंबित है जिन कर्जों का भुगतान नहीं हो रहा है। इस बाबत जिला के लीड बैंक प्रबंधक एसके सिंहा ने बताया कि करीब छह हजार लोगों के पास यह 55 करोड़ रुपया बकाया लंबे अर्से से पड़ा हुआ है। बकाये कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक नया कर्ज जारी करने में हिचक रहे हैं, सिंहा ने बताया कि इन्हीं बकाये कर्जे की वसूली के लिए आठ अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

दो अफसरों को नोटिस

शेखपुरा : बैठक से गैरहाजिर दो अफसरों को डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि जिला टास्क फ़ोर्स की बैठक में में गैरहाजिर जलपथ के कार्यपालक अभियंता तथा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।